



38/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 308/28/76/एक/2018-19
सेवा में,

दिनांक : 27 अप्रैल 2018

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-गोण्डा।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0181000101172547	IFSC Code PUNB0018100	✓199.836

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व मु०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	गोण्डा	म०ब०-83	न०पा०प० गोण्डा	वार्ड न० 08 सिविल लाइन-प्रथम के नैययर कालोनी में राजीव सिटी माण्टेसरी स्कूल से परिक्रम सिंह के घर होते हुए अनूप टण्डन के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	8.732
2	गोण्डा	म०ब०-83	न०पा०प० गोण्डा	वार्ड न० 08 सिविल लाइन-प्रथम मं फलाहारी बाबा की गली से बीनेन्द्र श्रीवास्तव के मकान से सुशील के मकान होते हुए शुक्ला जी के मकान तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	11.611
3	गोण्डा	म०ब०-83	न०पा०प० गोण्डा	वार्ड न० 02 मो० पन्त नगर में पी०एस०सी० गेट से स्टेट बैंक तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	3.456
4	गोण्डा	म०ब०-83	न०पा०प० गोण्डा	वार्ड न० 08 सिविल लाइन प्रथम में आनन्दपुरी कालोनी शेखर के घर से मिश्रा जी के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	3.092
5	गोण्डा	म०ब०-83	न०पा०प० गोण्डा	वार्ड न० 08 सिविल लाइन प्रथम में न्यू आटा हाउस कालोनी से जेल रोड आई०टी०आई० रोड होते हुए मण्डेनाला देल तक नाला का निर्माण कार्य।	12.042



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व मु०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
6	गोण्डा	म०ब०-83	न०पा०प० गोण्डा	वार्ड न० 13 मो० पटेल नगर पूर्वी में विनोद वकील के मकान से शकील के मकान तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.108
7	गोण्डा	म०ब०-83	न०पा०प० गोण्डा	वार्ड न० 10 मो० शास्त्री नगर के तोपखाना में पन्ना लाल मौर्य के घर से इरफान के घर होते हुए नानमून यादव के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	2.593
8	गोण्डा	म०ब०-83	न०पा०प० गोण्डा	वार्ड न० 02 मो० पन्त नगर में विष्णु तिवारी के घर से लल्लू पाण्डेय के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	2.198
9	गोण्डा	म०ब०-83	न०पा०प० गोण्डा	वार्ड न० 02 मो० पन्त नगर में जगदी सिंह के मकान से बाल कुन्दन लाल मिश्र के मकान तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	3.283
10	गोण्डा	मु०अ०-37	न०प० परसपुर	वार्ड न० 13 मिश्रनटोला में विजय चौरसिया के घर सी०सी० रोड से रामदेव पाण्डेय के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	7.856
11	गोण्डा	मु०अ०-37	न०प० परसपुर	वार्ड न० 13 मिश्रनटोला में भौरीगंज रोड कन्या पाठशाला से रामशंकर पाण्डेय के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	7.856
12	गोण्डा	मु०अ०-37	न०प० परसपुर	वार्ड न० 13 मो० मिश्रनटोला में पीर मोहम्मद के घर से संदीप रस्तोगी के मड़हा तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	2.780
13	गोण्डा	मु०अ०-37	न०प० परसपुर	वार्ड न० 06 मो० मिश्रनटोला में कृष्ण मुरारी के घर से संगम लाल के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	5.325
14	गोण्डा	मु०अ०-37	न०प० परसपुर	वार्ड न० 13 मो० धीरजापुरवा में कृष्ण मुरारी के चन्नी से पुत्तन के घर होते हुए कुम्हार के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	7.901
15	गोण्डा	मु०अ०-37	न०पा०प० नवाबगंज	वार्ड न० 11 पड़ाव में नवाबगंज के घण्टाघर से श्री सचदेवा के मकान तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	14.947
16	गोण्डा	मु०अ०-37	न०पा०प० नवाबगंज	वार्ड न० 11 पड़ाव में नवाबगंज पुलिस चौकी के सामने से टीचर कालोनी तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	9.151
17	गोण्डा	मु०अ०-37	न०पा०प० नवाबगंज	वार्ड न० 05 मो० चाईटोला में छेदी शाव मंदिर के आगे शौचालय के सामने सी०सी० रोड से होते हुए केसरी नन्दन के बाउड़ीवाल तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	13.652



38/5

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
18	गोण्डा	मु०अ०-37	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 02 बालूगंज में शिव मोहन स्वर्णकार के घर से डा० अवधेश के घर व भैरोनाथ मन्दिर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	11.046
19	गोण्डा	मु०अ०-37	न०पं० कटरा बाजार	वार्ड नं० 01 मो० बरई टोला में नई पानी की टंकी से करनैलगंज सम्पर्क मार्ग तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	12.718
20	गोण्डा	मु०अ०-37	न०पं० कटरा बाजार	वार्ड नं० 01 में गया प्रसाद के घर से काली मन्दिर सम्पर्क मार्ग तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	5.934
21	गोण्डा	मु०अ०-37	न०पं० कटरा बाजार	वार्ड नं० 07 में जलालू के घर से मेन रोड तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	11.232
22	गोण्डा	मु०अ०-37	न०पं० कटरा बाजार	वार्ड नं० 09 में पट्टे की दुकान से हरिश्चन्द्र के मकान तक मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	7.113
23	गोण्डा	मु०अ०-37	न०पं० कटरा बाजार	वार्ड नं० 01 बरईटोला में गैसू के घर से पानी की टंकी तक, रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	3.688
24	गोण्डा	मु०अ०-37	न०पं० कटरा बाजार	वार्ड नं० 01 बरईटोला में काली मन्दिर से पीपल चौराहा मेन रोड तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	4.222
25	गोण्डा	मु०अ०-37	न०पं० कटरा बाजार	वार्ड नं० 06 पटानटोला में मुन्नी देवी के घर से खल्लू खां के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	1.975
26	गोण्डा	मु०अ०-37	न०पं० कटरा बाजार	वार्ड नं० 06 पटानटोला में महबूब के घर से तिवारी मेडिकल स्टोर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	5.623
27	गोण्डा	मु०अ०-37	न०पं० मनकापुर	मो० पटेलनगर/आजाद नगर में नवाबगंज मनकापुर मार्ग से रेलवे कासिंग से आरा मशीन तक सी०सी० रोड/नाली का निर्माण कार्य।	13.702
	योग				199.836

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।



38/4

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



38/5

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

12-

शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक